11

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2011/भाद्र 16, 1933
No. 496] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2011/BHADRA 16, 1933

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 664(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वनस्पति तेल उत्पाद (विनियमन) आदेश, 1998 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं.**—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) अभिप्रेत है;

(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आदेश के प्रयोजनों के लिए और खण्ड 5 के अधीन संदर्भित पदामित्त अपीलीय प्राधिकारी अभिप्रेत है ।

(ग) "मुख्य निदेशक" से इस आदेश के अधीन किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ऐसा अधिकारी या ऐसे अधिकारी अभिप्रेत हैं ।

(घ) "वितैलित अवचूर्ण" से जब किसी विलायक निष्कर्षण द्वारा तेल धारित पदार्थों को निष्कर्षित करने के उपरांत अवशिष्ट पदार्थ अभिप्रेत है;

(ङ) "निदेशालय" से वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय अभिप्रेत है;

(च) "उत्पादक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी भी वनस्पति तेल उत्पाद अथवा किसी भी विलायक निष्कर्षित तेल, अथवा वितैलित अवचूर्ण, या तो अपनी स्व के कारखाने या किसी अन्य व्यक्ति के कारखाने से, जो उसके निमित्त कार्य करते हों, के उत्पादन के कारोबार में लगा हो;

(छ) "वनस्पति तेल" से खली या तिलहन या पादप (वनस्पति) मूल के तेल धारित पदार्थ और जिसमें ग्लीसिराइड्स हो से, उत्पादित तेल अभिप्रेत है;

(ज) "वनस्पति तेल उत्पाद" से कोई भी वनस्पति तेल अपने कच्चे रुप में, अथवा किसी प्रक्रिया के अधीन जैसे निस्यन्दन (जिसके फिल्ट्रेशन) केन्द्रीयसारी, परिष्करण (निष्प्रभावन , विरंजन मिट्टी तथा डिओडोराइजेशन का प्रयोग करते हुए) इंटेरेस्टेटिफिकेशन, हाईड्रोजनकीकरण, प्रभाजन, शीतक्षत्वि, जल के साथ पायसीकरण, अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य प्रक्रिया अथवा मशीनीकृत एक्सपेलर से उत्पादित खली अथवा चक्की मशीनों अथवा तेल धारित पदार्थों का विलायक निष्कर्षण से उत्पादत वितैलित भोजन अभिप्रेत है।

(झ) "अनुसूची" से इस आदेश से उपाबंध (अनुसूची) अभिप्रेत है;

(ञ) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" से खण्ड 4 के अधीन किसी उत्पादक को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है;

(ट) इस आदेश में शब्द और अभिव्यक्तियां इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 या खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 या इसके अधीन बनाये नियमों या विनियमों में परिभाषित हो, वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति उस अधिनियम या नियम या विनियम में हैं, जैसा भी मामला हो;

3. रजिस्ट्रीकरण: (1) इस आदेश की प्रारंभ की तारीख से ही कोई भी उत्पादक, जो वनस्पति तेल की बिक्री के लिए उत्पादन स्टाक या बिक्री के लिए प्रस्ताव, वनस्पति तेल उत्पाद, विलायक निष्कर्षित तेल, वितैलित अवचूर्ण या खाने योग्य आटा का कारोबार करना चाहता हो, अनुसूची-1 में यथा विर्निर्दिष्ट मुख्य निदेशक को आवेदन करेगा, और अनुसूची(2) में यथा विर्निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेगा।

(2) मुख्य निदेशक, आवश्यक जांच करने के पश्चात जैसा वे उचित समझे, आवेदक को अनुसूची-2 में विर्निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा; या आवेदन को कारण को लेखबद्ध करते हुए अस्वीकृत करेगा।

4. कोई भी व्यक्ति उत्पादन, बिक्री के लिए स्टाक करने, बिक्री, या वनस्पति तेल उत्पाद के लिए बिक्री प्रस्तावित करना, या किसी भी विलायक-निष्कर्षित तेल, वितैलित अवचूर्ण या खाने योग्य आटा का कारोबार करने में खण्ड 3 का उल्लंघन करता है तो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जुर्माने से दण्डनीय होगा।

5. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण: - मुख्य निदेशक, उत्पादक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात इस आदेश के उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए इस आदेश के अधीन मंजूर किए गए किसी रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा।

6. अपील: कोई व्यक्ति जो खण्ड 4 के अधीन जुर्माने के आदेश या खण्ड 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से व्यथित है, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अपील प्राधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसे आदेश प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा और उस पर अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

7. केन्द्रीय सरकार, जनहित में, कारण को लेखबद्ध करते हुए, विशेष परिस्थितियों में किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, इस आदेश में ऐसे विर्निर्माण, स्टाक रखने, वनस्पति तेल उत्पादों की किसी भी किस्म की बिक्री के लिए छूट विनिर्दिष्ट किन्हीं या सभी अपेक्षाओं से छूट दे सकेगी।

8. मुख्य निदेशक, वनस्पति तेलों की उपलब्धता तथा अन्य सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी वनस्पति तेल के प्रयोग को किसी या सभी वनस्पति तेल उत्पादों के उत्पादन में अधिकतम या न्यूनतम सीमा निर्धारित कर सकेगा जो ऐसी किन्हीं शर्तों के अधीन होगा जो समय-समय पर उसके द्वारा विर्निर्दिष्ट की जाए।

9. प्रत्येक उत्पादक निम्नलिखित के संबंध में मासिक विवरणी आगामी मास की सात तारीख तक मुख्य निदेशक को भेजेगा:-

(क) मुख्य निदेशक द्वारा समय-समय पर विर्निर्दिष्ट प्ररुप में संसाधित इकाई द्वारा सामग्री के रुप में प्राप्त किया गया और उपयोग किया गया वनस्पति तेल पिछले एक मास के दौरान प्रत्येक विर्निर्मित, विक्रय किया गया या आयाति निर्यातित वनस्पति तेल उत्पाद;

(ख) पूर्ववर्ती एक मास के दौरान उसके द्वारा यथास्थिति विर्निर्मित या प्रेषित का ध स्टाक और विलायक निष्कर्षित तेल, वितैलित अवचूर्ण, खाने योग्य आटा अ उनमें से सभी, की मात्रा तथा किस्में;

(ग) पूर्ववर्ती मास के दौरान तेल धारित पदार्थों की मात्रा धारित स्टाक और किस्में विलायक का उपयोग।

(घ) इस आदेश के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्पाद का नाम और पता, जिनको विल निष्कर्षित तेल की प्रत्येक किस्म, अर्थात "अर्ध परिष्कृत" "अपरिष्कृत ग्रे "अपरिष्कृत ग्रेड-2" अवधि के दौरान भेजे गए तथा इस प्रकार भेजे गए की मात्र

10. जानकारी मांगने तथा प्रवेश करने के लिए तथा इस संबंध में निरीक्षण करने की श मुख्य निदेशक किन्हीं ऐसे परिसरों में प्रवेश कर उनका निरीक्षण कर सकेगा, वन तेल उत्पादों के उत्पादन से संबंधित कोई भी अभिलेख, प्रदाय, वितरण, आयात निर्यात, जिसके अंतर्गत अपरिष्कृत माल की खरीद, उनके उत्पादन यानों या जल भी है तथा वनस्पति तेल उत्पादों के स्टाक को जब्त कर सकेगा, जिनके संबंध में पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि वास्तविक उत्पादन का मूल्य अथवा उनके द्वारा निदेशालय में जमा कराई गई विवरणियों के अनुरुप नहीं हैं तथा प्र उत्पादक को ऐसी सभी जानकारी मुख्य निदेशक को देनी होगी।

11. (1) उत्पादक द्वारा विलायक निष्कर्षित तेल का प्रत्येक विक्रय या स्टाको संचलन इस आदेश या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्री उत्पादक के विक्रय अथवा स्टाकों का सीधा संचलन होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति विक्रय के लिए स्टाक अथवा बिक्री अथवा बिक्री के लिए, वितैलित भोजन, पशुओं के चारे के आशय से उत्पादन नहीं करेगा जब तक कि ऐसा वितैलित भोजन अनुसूची-3 में विर्निर्दिष्ट समुचित वितैलित भोजन के लिए क्वालिटी के मानकों और इसके साथ संलग्न सारिणी की आवश्यकताओं के अनुरुप न हों।

12. प्रत्येक उत्पादक किसी टाइप आकार जो 50 एम एम से कम न होगी, किसी तेल के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिभाषित क्वालिटी मानक के अनुरुप नहीं के लिए "परिष्कृत" ग्रेड विलायक निष्कर्षित तेलों के लिए निम्नलिखित रुप में घोषणा प्रदर्शित करेगा :-

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विनिर्दिष्ट तेलों के ग्रेड "अर्ध-परिष्कृत" अथवा "अपरिष्कृत ग्रेड-।" के लिए अपेक्षाओं के साथ अनुपालन की दशा में, "सीधे खाद्य उपभोग के लिए नहीं";

(ख) मद संख्या (क) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन न करने वाले तेलों की दशा में, " केवल औद्योगिक अखाद्य प्रयोग के लिए" ;

(ग) उत्पादक का नाम तथा कारोबारी विवरण;

(घ) यथास्थिति उत्पादक द्वारा धारित अनुज्ञप्ति संख्या या रजिस्ट्रीकृत प्रयोक्ता का रजिस्ट्रीकरण संख्या;

(ङ) आधान में रखी सामग्री का कुल भार;

(च) विर्निर्माण का बैच नंबर, मास और वर्ष।

(परन्तु जहां विलायक निष्कर्षित तेल थोक मात्रा में रेल टैंक-वैगनों या रोड टैंकरों से परिवहन किया जाता है अथवा जहां वितैलित भोजन थोक मात्रा में या तो साइलो में स्टोरेज के लिए वाहित किया जाता है अथवा पानी के जहाज में भारी शिपमेंट के लिए स्थानान्तरित किया जाता है, इसके लिए यही पर्याप्त होगा कि पूर्वोक्त विवरण इसके साथ जाने वाले दस्तावेजों में दिए गए हों;

परन्तु यह और कि उपखण्ड (क) के अधीन अपेक्षित प्रत्येक विवरण और घोषणा या तो डिब्बे पर चिपकाए गए लेबल पर प्रिंट की गई हो या उस पर न मिटने वाली स्याही लिथोग्राफ या स्टेंसिल्ड होगी तथा, जब तक इस आदेश में न दिया गया हो, इनका टाइप साइज 3 एम एम से कम नहीं होगा)।

अनुसूची-1

[खण्ड-3 (1) देखें]

वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश,2011 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

मुख्य निदेशक,
वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय,
पांचवा तल, ब्लाक नं. 2, सीजीओ काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

महोदय,

मैं/हम.. (आवेदक का नाम और पता) अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/ हमें वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश 2011 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करें।

1. इकाई का नाम और पता (स्थान):

जिला: राज्य: पिन:

2. विर्निर्माण की मद और वार्षिक स्थापित क्षमता:

क्र.सं.	वनस्पति तेल उत्पाद	विर्निमात्री इकाई की स्थापना की तारीख	वार्षिक स्थापित क्षमता मीट्रिक टनों में

3. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रीकरण/लाइसेंस संख्या (प्रति संलग्न की जाए)

4. संयंत्र और मशीनरी का विवरण:

(यदि आवश्यकता हो तो अलग से पृष्ठ पर संलग्न करें)

मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य तथा सही हैं। मैं/हम वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादन और उपलब्धता

(विनियमन) आदेश, 2011 के सभी उपबंधों का अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध हूं/हैं।

स्थानः..................... आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख.................. (आवेदक के पूर्ण विवरण अर्थात नाम तथा पदनाम आदि स्पष्ट अक्षरों में)

अनुसूची-2

[खण्ड-3 (2) देखें]

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स.. को एतदद्वारा "वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011" के अधीन इस निदेशालय के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाता है .... में स्थित कारखाना में निम्नलिखित उत्पादों:-

मदें	वार्षिक स्थापित क्षमता (मीट्रिक टनों में)
(i)	
(ii)	
(iii)	

के विर्निर्माण के लिए निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण संख्या आबंटित की जाती है:

सं0.............................. तारीख...

तारीख.................... (.................................)

मुख्य निदेशक

अनुसूची-3

[खण्ड-11 (2) देखें]

वितैलित अवचूर्ण के लिए क्वालिटी का स्तर

1. किसी विलायक के माध्यम द्वारा तेल के निष्कर्षण द्वारा प्राप्त वितैलित अवचूर्ण:

(क) नीचे दिये गये तिलहनों में से, किसी एक से या उक्त तिलहनों से यांत्रिक रुप से प्राप्त की गई खली से, अर्थात्:-

(i) नारियल

(ii) बिनौला

(iii) मूंगफली

(iv) अलसी

(v) नाइगर बीज

(vi) कुसुम

(vii) सूरजमुखी बीज

(viii) तिल के बीज

(ix) सरसों/तोरी बीज,या

(x) अन्य तेल धारित पदार्थ या खली जो समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

(ख) सोयाबीन

(ग) राइस ब्रान, जोकि, चावल के पेषण की प्रक्रिया के उपरांत चावल की भूसी की परत के फलावरण से प्राप्त किया गया हो।

2. वितैलित अवचूर्ण नियंत्रित और सुव्यवस्थित अवस्थाओं के अधीन भाप तथा ताप से उपचारित हो जिससे कि प्रोटीन का विकृतिकरण को रोका जा सके और विलायक के अवशेष को हटाया जा सके।

3. यह अरंडी खली या भूसी और महुआ खली जैसे हानिकारक संघटकों से रहित होना चाहिए। यह बासीपन, अपमिश्रण, कीट या फफूंदी संदूषण तथा पुरानी गंध से रहित होना चाहिए।

4. नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा:-

तालिका

वितैलित अवचूर्ण के लिए अपेक्षाएं

वितैलित अवचूर्ण	भार के अनुसार आर्द्रता का प्रतिशत अधिकतम	भार के अनुसार प्रोटीन (नाइट्रोजनx 6.25) का प्रतिशत न्यूनतम	भार के अनुसार अपरिष्कृत वसा या ईथर निष्कर्षण का प्रतिशत अधिकतम	भार के अनुसार अपरिष्कृत रेशा प्रतिशत अधिकतम	भार के अनुसार अम्ल अघुलनशील राख का प्रतिशत अधिकतम
(i) नारियल	12	21	1.5	15	2.0
(ii)बिनौला बीज	10	40	2.0	18	2.5
(iii) मूंगफली	10	47	1.5	12	2.5
(iv) अलसी बीज	10	29	1.5	11	2.5
(v)चावल की भूसी	10	14	1.5	16	10.0
(vi)नाइगर बीज	9	35	1.0	18	1.5
(vii) कुसुम					
(क) छिलका सहित	10	34	1.5	24	1.5
(ख) छिलका रहित*	10	20	1.5	35	2.0
(viii)तिल	10	47	1.5	7	1.5
(ix)सूरजमुखी बीज	10	30	1.5	30	2.5
(x)सरसों/तोरी बीज	10	37	5.0	8	1.5
(xi)सोयाबीन	12	48	1.5	6	1.5

- आर्द्रता रहित आधार पर

[फा. सं. 327/1/2008-सीडी]

डा. डी. भल्ला, संयुक्त सचिव

3382 GI/11-3

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Pablic Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2011

G.S.R. 664(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of the Vegetable Oil Products (Regulation) Order, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, extent and commencement. – (1) This Order may be called the Vegetable Oil Products Production and Availability (Regulation) Order, 2011.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions:- In this Order, unless the context otherwise requires. -

   a) "Act" means the Essential commodities Act, 1955(10 of 1955);
   b) "Appellate Authority" means the appellate authority designated for the purposes of this Order by the Central Government and referred to under clause 5;
   c) "Chief Director" means such officer or officers appointed by the Central Government to exercise any or all of the powers under this Order;
   d) "de-oiled meal" means the residual material left over when oil is extracted by a solvent from any oil-bearing material;
   e) "Directorate" means the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils & Fats;
   f) "producer" means a person engaged in the business of producing any vegetable oil product or any solvent-extracted oil, or de-oiled meal, either in his own factory or in the factory of any other person, acting on his behalf;
   g) "vegetable oil" means oil produced from oilcake or oilseed or oil-bearing material of plant origin and containing glycerides;
   h) 'vegetable oil product' means any vegetable oil in its crude form, or subjected to any process like filteration, centrifugation, refining (including neutralisation, bleaching using bleaching earths and deodourisation), interesterification, hydrogenation, fractionation, winterisation, emulsification with water or any other process notified by the Government from time to time or oilcakes produced from mechanical expellers or rotary machines and de-oiled meal produced from solvent extraction of oil bearing materials.
   i) "Schedule" means a Schedule appended to this Order;
   j) "registration certificate" means the registration granted to a producer under clause 4;
   k) Words and expressions used but not defined in this Order and defined in the Essential commodities Act, 1955 or the Food Safety and Standards Act, 2006 or rules or regulations made thereunder, shall have the meanings assigned to them in that Act or rules or regulations, as the case may be, respectively.

3. Registration: (1) On and from the date of commencement of this Order, a producer who intends to produce, stock for sale or offer for sale vegetable oil, vegetable oil product, solvent extracted oil, de-oiled meal or edible flour shall make an application to the Chief Director as specified in the Schedule – I, and obtain a registration certificate as specified in Schedule (II).

(2) the Chief Director may, after making necessary enquiries, as he deems fit, issue the registration certificate as specified in Schedule – II to the applicant; or reject the application, for reasons to be recorded in writing.

4. Any person engaging in the business of producing, stocking for sale, selling, or offering for sale vegetable oil product or any solvent-extracted oil, de-oiled meal or edible flour in violation of Clause 3 shall be punishable with a fine under the provisions of the Act.

5. Cancellation of Registration – The Chief Director may, after giving the producer an opportunity of being heard, cancel any registration granted to him under this Order for any contravention of the provisions of this Order.

6. Appeal.- Any person who is aggrieved by the order of fine under clause 4 or cancellation of registration under clause 5 may make an appeal to the Appellate Authority appointed by the Central Government against such order within a period of thirty days of the receipt of such order and the decision of the Appellate Authority shall be final.

7. The Central Government may, in public interest, for reasons to be recorded in writing, in specific circumstances and for a specified period, relax any or all of the requirements specified in this order for such manufacture, stocking or sale of any variety of vegetable oil products.

8. The Chief Director may, having regard to the availability of vegetable oils and all other relevant factors, prescribe the maximum or minimum limit of usage of any vegetable oil in the production of any or all of the vegetable oil products which may be subject to any condition as may be specified by the him from time to time.

9. Every producer shall furnish monthly return to be furnished by the seventh day of the succeeding month to the Chief Director in respect of -

a. each vegetable oil received and consumed by the processing unit as raw material and each vegetable oil product manufactured, sold or imported or exported during the past one month in a form specified by the Chief Director from time to time.
b. the stocks held, and the quantities and varieties of solvent-extracted oil, de-oiled meal or edible flour or all of them, as the case may be, manufactured or dispatched by him during the preceding one month;
c. the stocks held, and the quantities and varieties of oil-bearing materials and of solvent used during the preceding one month;
d. the names and addresses of the producer registered under this order to whom each variety of solvent extracted oil, that is "semi-refined", "raw grade1", "raw grade 2", was dispatched during the period and the quantities so dispatched;

10. Power to call for information and entry and carry out inspection in that regard- The Chief Director may enter and inspect or cause to enter and inspect any premises, any record relating to the production, supply, distribution, import and export of vegetable oil products including the purchase of raw materials used in their production vehicles or vessels and seize the stocks of vegetable oil products, in respect of which he has reason to believe that the value of actual production or sale are not commensurate with the returns and the data filed with the Directorate and every producer shall be bound to furnish all such information to the Chief Director.

11. (1) Every sale or movement of stocks of solvent-extracted oil by the producer thereof shall be a sale or movement of stocks directly to a producer registered under this Order or under any other law for the time being in force.

(2) No person shall produce, stock for sale, or sell or offer for sale, de-oiled meal intended for use as a livestock feed, unless such de-oiled meal conforms to the standards of quality for the appropriate de-oiled meal specified in the Schedule- III and the requirements as attached in the Table thereto.

12. Every producer shall display a declaration, in a type-size of not less than 50 mm, for any oil not conforming to the standards of quality defined under any other law for the time being in force for "refined" grade solvent extracted oils in the following manner:-

(a) "NOT FOR DIRECT EDIBLE CONSUMPTION", in the case of oils complying with the requirements for the "semi-refined" or "raw-grade 1" grades of oil specified under any other law for the time being in force

(b) "FOR INDUSTRIAL NON-EDIBLE USES ONLY", in the case of oils not complying with the requirements under item (a);

(c) the name and business particulars of the producer;

(d) the license number held by the producer or the registration number of the registered user, as the case may be:

(e) net weight of the contents in the container;

(f) batch number, month and year of manufacture:

[Provided that where solvent extracted oils is transported in bulk in rail tank-wagons or road tankers, or where de-oiled meal is transported in bulk either for storage in silos or transferred to ship for bulk shipment, it shall be sufficient if the aforesaid particulars are furnished in the accompanying documents.:

Provided further that every particular or declaration required under sub-clause (a) shall be either printed on the label affixed to the container or lithographed or stenciled thereon with indelible ink and, unless otherwise provided in this Order, shall be in a type-size of not less than 3 mm.]

*****

SCHEDULE – I

[See Clause 3 (1)]

Application for registration under the 'Vegetable Oil Products Production and Availability (Regulation) Order, 2011'.

To

The Chief Director,
Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats,
5th Floor, Block 2, C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi -110 003.

Sir,

I/We---(Name and address of the applicant) request that I/We may be registered under the Vegetable Oil Products Production and Availability (Regulation) Order, 2011.

1. Name and address (location) of the Unit:

District: State: PIN:

2. Item of manufacture and annual installed capacity:

S.No.	Vegetable Oil Product	Date of installation of Manufacturing unit	Annual installed capacity in metric tonnes

3. Registration/License Number under Food Safety and Standards Act, 2006:
(Copy to be enclosed)

4. Details of plant and machinery : (Attach separate sheet if required)

I/we hereby certify that the above statement is true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We hereby undertake to comply with all the provisions of the Vegetable Oil Products Production and Availability (Regulation) Order, 2011.

Place...........
Date ....

Signature of the applicant

(Full particulars of the Applicant i.e. Name and designation etc. in block letters)

SCHEDULE – II
[See Clause 3 (2)]

Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
(Department of Food and Public Distribution)
Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats

Registration Certificate

This is to certify that M/s .... is hereby registered under **'Vegetable Oil Products Production and Availability (Regulation) Order, 2011'** with this Directorate and is allotted the below mentioned Registration Number :-

No. Date

for the factory located at ....for manufacture of the following products :-

Items	Annual Installed capacity (in Metric Tonnes)
(i)	
(ii)	
(iii)	

Dated :

(.............................)
Chief Director

SCHEDULE – III

[See Clause 11 (2)]

Standards of quality for de-oiled meal

1. The de-oiled meal shall be obtained by extraction of oil by means of a solvent from :

(a) one of the under-mentioned oilseeds, or the oilcake obtained by mechanical expression of oil from the said oilseeds, namely:-

(i) Coconut.
(ii) Cottonseed.
(iii) Groundnut.
(iv) Linseed.
(v) Nigerseed
(vi) Safflower
(vii) Sunflower seed
(viii) Sesame seed.
(ix) Mustard/rapeseed, or
(x) any other oil-bearing material or oilcake that may be notified by the Government from time to time;

(b) soyabean;

(c) rice bran, that is, the pericarp of bran layer of rice obtained by the process of milling of rice.

2. The de-oiled meal shall be subjected to heat and steam treatment under controlled and regulated conditions so as to prevent denaturation of the protein and remove traces of solvent.

3. It shall be free from harmful constituents, castor cake or husk and mahua cake. It shall also be free from rancidity, adulterants, insect or fungus infestation and from musty odour.

4. It shall comply with the requirements specified against each in the Table given below:-

TABLE

Requirements for de-oiled meals

De-oiled Meal	Moisture percent by weight maximum	Crude protein (nitrogen x 6.25) percent by weight, minimum	Crude fat or ether extract per cent by weight maximum	Crude fibre per cent by weight maximum	Acid insoluble ash percent by weight maximum
(i) Coconut	12	21	1.5	15	2.0
(ii) Cotton seed	10	40	2.0	18	2.5
(iii) Ground nut	10	47	1.5	12	2.5
(iv) Lin seed	10	29	1.5	11	2.5
(v) Rice-bran	10	14	1.5	16	10.0
(vi) Niger seed	9	35	1.0	18	1.5
(vii) Safflower-					
(a)decorticated	10	34	1.5	24	1.5
(b)Un-decorticated*	10	20	1.5	35	2.0
(viii) Sesame	10	47	1.5	7	1.5
(ix) Sunflower seed	10	30	1.5	30	2.5
(x)Mustard/rapeseed	10	37	5.0	8	1.5
(xi) Soyabean	12	48	1.5	6	1.5

* On moisture free basis

[F.No. 327/1/2008-CD]

Dr. D. BHALLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.